

७५१
२६/५/२३

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रीनको एनर्जीज प्राईवेट लिमिटेड,
प्लाट नं०-1071, रोड नं०-44, जुबली हिल्स,
हैदराबाद-500033

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 25 मई, 2023

विषय:-जनपद सोनभद्र में 3660 मेगावाट क्षमता का पंप स्टोरेज पावर प्लांट परियोजना की
सैद्धांतिक अनुमति विषयक।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 31.01.2023 का संदर्भ लें। आपने उक्त पत्र के माध्यम से सोनभद्र
जनपद, उत्तर प्रदेश के ग्राम गुरार में 3660 मेगावाट का ऑफ-स्ट्रीम पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट स्थापित
करने का प्रस्ताव दिया है। आपके द्वारा उक्त प्रस्ताव के क्रम में दिनांक 06.05.2023 को शासन में
प्रस्तुतीकरण किया गया। उक्त प्रस्तुतीकरण बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 15.05.2023 निर्गत किया गया
है। प्रस्तुतीकरण के दौरान योजना के सम्बन्ध में निम्न तथ्यों से अवगत कराया गया :-

2. पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट (PSP)

“पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट” एक क्लीन, ग्रीन एवं सेफ प्रोजेक्ट है। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट को
वाटर बैटरी भी कहा जाता है। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट द्वारा फर्म, फ्लैक्सीबल तथा डिस्पैचेबल पावर
का उत्पादन किया जाता है। परियोजना की लाईफ 40-50 वर्ष है। यह परियोजना गैर प्रदूषणकारी
है तथा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट, मेन रीवर स्ट्रीम पर नहीं होने की वजह से
रिवराईन इकोसिस्टम (riverine ecosystem) को परिवर्तित/डैमेज नहीं करता है। परियोजना में
अप-फ्रन्ट कॉस्ट कम है तथा स्टोरेज की लागत भी कम है। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट में कन्वेंशनल
रूप से अपर एवं लोअर रिजरवायर (Upper and Lower Reservoir) दोनों रीवर स्ट्रीम पर होते हैं।
ऑफ स्ट्रीम पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट में एक श्रेणी ओपेन लूप की होती है, जिसमें एक रिजरवायर मेन
रीवर सिस्टम पर होता है और दूसरा रीवर स्ट्रीम से अलग होता है। क्लोज लूप पम्प स्टोरेज
प्रोजेक्ट में अपर एवं लोअर रिजरवायर दोनों ही रीवर कोर्स से अलग होते हैं। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट
में एक्सेस/रिन्युएबल/सस्ती एनर्जी होने के समय पानी को अपर रिजरवायर (Upper Reservoir) में
पम्प किया जाता है। विद्युत की डिमाण्ड ज्यादा होने तथा विद्युत महंगा होने के समय में पानी को
अपर रिजरवायर से लोअर रिजरवायर में ले जाकर बिजली जनरेट की जाती है। अतः पम्प स्टोरेज
प्रोजेक्ट्स पीक डिमांड के समय विद्युत उत्पादन करती है और पानी अपर रिजरवायर में स्टोर करने
का काम जब विद्युत सस्ती होती है तब करती है।

3. पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के विषय पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.04.2023
को निर्गत Guidelines to Promote Development of Pump Storage Projects (PSP)- regarding. के

Manoj

111
तहल
हलन

प्राविधानों पर भी चर्चा की गयी। उक्त गाईडलाइन के पैरा-3, 3.1, (iv) में Self-Identified off-stream Pumped Storage Projects के सम्बन्ध में निम्नवत् प्राविधान है :-

"... In addition to the above methods, developers may also self-identify potential off-stream sites where PSPs can be constructed. Since these sites are away from the riverine system and do not utilize the natural resources like river streams, allotment from State Governments would not be required for the development of PSP projects on such sites. Further, all statutory clearances need to be obtained from State and Central agencies before starting construction. It will help in harnessing the off-stream potential in the country at a faster pace. Projects developed in such a manner would be provided all concessions mentioned in these guidelines, subject to the directions issued by the Government from time to time. "

4. पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में मेसर्स ग्रीनको एनर्जीज द्वारा दिनांक 01.02.2023 को प्रदेश सरकार के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है। कम्पनी द्वारा पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए स्थल चयन कर सर्वेक्षण/डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Detail Project Report) बनाने आदि का कार्य किया जा रहा है। कम्पनी का यह अनुरोध है कि पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के स्थल के विषय में काफी विस्तृत सर्वेक्षण करना होता है तथा डी0पी0आर0 आदि बनाने में काफी ज्यादा समय व संसाधन लगता है, इसलिए इन प्रोजेक्ट्स को विकसित करने के पूर्व किए जा रहे सर्वेक्षण आदि के कार्य के लिए कम्पनी के आवेदन के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एक पत्र निर्गत किया जाए ताकि एक साईट पर एक से ज्यादा कम्पनियों, सर्वेक्षण आदि का कार्य न प्रारम्भ करें और इस तरह के किसी ओवर लैपिंग से बचा जा सके।

5. ग्रीनको एनर्जीज कम्पनी के परियोजना का विवरण:-

इस कम्पनी द्वारा ऑफ स्ट्रीम क्लोज्ड लूप पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट (Off Stream Closed Loop Pumped Storage Project) जिसकी क्षमता 3,660 मैगावाट है वह जनपद सोनभद्र में प्रस्तावित किया गया है। इस प्रोजेक्ट में ओबरा तहसील के ग्राम गुरार, गरवा, पिंडारी, रानीदेहो, मुहुना तथा राबट्सगंज तहसील का ग्राम बैजनाथ शामिल हैं। यह परियोजना सेल्फ आईडेन्टीफाईड श्रेणी की है। परियोजना के अन्तर्गत अपर एवं लोअर जलाशय का निर्माण, वाटर कन्डक्टर सिस्टम, पावर हाउस एवं अन्य फेसिलिटीज बनायी जानी हैं। इस प्रोजेक्ट में 0.935 टी.एम.सी. जल की आवश्यकता, नॉन कन्जम्प्टिव यूज बेसिस पर बतायी गयी है। परियोजना में पावर इवैकुएशन 440/220 के.वी. पावरग्रिड सब-स्टेशन विहाना, उत्तर प्रदेश से प्रस्तावित है। परियोजना के अन्तर्गत कुल भूमि की आवश्यकता 699.20 हेक्टेयर है, जिसमें वन क्षेत्र 586.52 हे0 है तथा 112.65 हे0 भूमि गैर-वन की है। परियोजना की लागत रु. 17,180.79 करोड़ बतायी गयी है। परियोजना साईट को गूगल मैप प्रदर्शित किया गया।

6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट के लिए दिनांक 24.03.2023 को स्कोपिंग क्लीयरेंस संशोधित कर निर्गत किया गया है। परियोजना में Topographical Survey and Geological Mapping का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। Geotechnical & Geological इन्वेस्टीगेशन के लिए कुल 34 बोर होल्स के सापेक्ष 14 पूर्ण किए जा चुके हैं। वर्षा के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा चुकी है तथा कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल के सर्वे का कार्य प्रगति पर है।

7. प्रथम फेज की डी0पी0आर0 18.04.2023 को सीडब्ल्यूसी/सीईए/जीएसआई/सीएसएमआरएस को प्रस्तुत किया गया है। परियोजना द्वारा फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए परिवेश

Manoj

पोर्टल पर दिनांक 20.03.2023 को आवेदन किया गया है। प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट द्वारा Compensatory Afforestation के लिए 586.57 हे० गैर वन क्षेत्र की भूमि चिन्हित की गयी है, जिसमें मिर्जापुर जनपद के लालगंज तहसील के सागर गाँव में 266.341 हे० तथा चित्रकूट जनपद के मानिकपुर तहसील के अमचूर नेरवा गाँव में 320.23 हे० भूमि का चयन किया गया है।

8. जिलाधिकारी, सोनभद्र ने यह अवगत कराया है कि प्रोजेक्ट का पब्लिक हियरिंग दिनांक 06.06.2023 को ग्राम बैजनाथ, राबर्ट्सगंज तहसील, जनपद सोनभद्र में प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट द्वारा 43.66 मिलियन क्यूबिक मीटर उपरोक्त जल उपलब्ध कराने हेतु अनुमति के लिए पत्र मुख्य अभियंता, वाटर रिसोर्सेज विभाग, हेड क्वार्टर को फरवरी, 2023 में प्रस्तुत किया गया है। एनुअल रिकॉम्पेन्ट (recoupment) हेतु 5 एम.सी.एम. जल की आवश्यकता होगी।


9. शासन स्तर पर आहूत बैठक दिनांक 06.05.2023 में अवधारित मत के क्रम में फर्म द्वारा जनपद सोनभद्र के ग्राम गुरार, गरवा, मुहुना, पिण्डारी, रानीडिहा एवं बैजनाथ में स्थापित की जा रही 3660 मेगावाट क्षमता की पंप स्टोरेज पावर प्लांट परियोजना की निम्नवत शर्तों के अधीन एतद्वारा सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान की जाती है—

1. ग्रीनको एनर्जीज प्रा. लि. द्वारा प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करके इन्वेस्ट यूपी एवं उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UP New & Renewable Energy Development Agency) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
2. उक्त परियोजना हेतु ग्रीनको एनर्जीज प्रा. लि. द्वारा स्वयं की लागत एवं व्यय पर निजी समझौते एवं यथावश्यकता उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से भूमि का अधिग्रहण प्रारम्भ किया जा सकता है।
3. राज्य सरकार सोन नदी से आवश्यक जल आवंटन की प्रक्रिया के साथ-साथ वार्षिक पुनर्भरण (Recouping) के प्राविधान को सुगम बनाएगी। यद्यपि, जल निकासी की अनुमति केवल बाढ़ की ऋतु में उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग तथा केंद्रीय जल आयोग के अनुमोदनोपरान्त प्रदान की जाएगी।
4. राज्य सरकार द्वारा ग्रीनको एनर्जीज प्रा. लि. की उक्त परियोजना के कार्यान्वयन हेतु केंद्र/राज्य सरकार की प्रचलित/वर्तमान नीतियों/नियमों/योजनाओं के अनुसार आवश्यक स्वीकृतियों/अनुमोदनों को प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। इस प्रकार की समस्त स्वीकृतियों/अनुमोदनों को प्राप्त करने हेतु इन्वेस्ट यूपी को सूचित करते हुए विभिन्न सम्बन्धित विभागों/प्राधिकरणों में आवेदन प्रस्तुत करने का पूर्ण उत्तरदायित्व ग्रीनको एनर्जीज प्रा. लि. का होगा।
5. ग्रीनको एनर्जीज प्रा. लि. द्वारा उ.प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्राविधानित प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए नियमों एवं प्रारूपों के अनुसार अपना आवेदन इन्वेस्ट यूपी में प्रस्तुत किया सकता है। इन्वेस्ट यूपी द्वारा नीति के प्राविधानों एवं तत्क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेशों के अनुसार आवेदन पर कार्यवाही की जाएगी।
6. ग्रीनको एनर्जीज प्रा. लि. द्वारा प्रचलित सीएसआर (Corporate Social Responsibility) नियमों के अनुसार स्थानीय रूप से आस-पास के क्षेत्रों के लाभ के लिए सीएसआर के अंतर्गत गतिविधियों का संचालन किया जाएगा।

Manaf

7. परियोजना का विकास—इस विषय पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.04. 2023 को निर्गत Guidelines to Promote Development of Pump Storage Projects (PSP) के प्राविधानों के अधीन होगा।

भवदीय,


(मनोज कुमार सिंह) 25.5.23


अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्या:-1974(1)/77-6-2023-02(पीएसपी/ग्रीनको)/2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा/वन/राजस्व/सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0
4. मण्डलायुक्त, मिर्जापुर।
5. निदेशक, यूपीनेडा।
6. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा/सोनभद्र।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(जय वीर सिंह)
संयुक्त सचिव।